# आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न


**सीए फर्मों के एकत्रीकरण हेतू समिति**

**भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान**

*(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)*

नई दिल्ली

**© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान**

सर्वाधिकार सुरक्षित । इस प्रकाशन के किसी भी हिस्से को पुन: प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत नहीं किया जा सकता है, या किसी भी रूप में, या किसी भी माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, या अन्यथा, पूर्व अनुमति के बिना, लिखित रूप में, प्रकाशक से प्रेषित किया जा सकता है ।

इस प्रकाशन का मूल मसौदा सीए संजय कुमार अग्रवाल द्वारा तैयार किया गया था

| | | |
|---|---|---|
| प्रथम संस्करण | : | जुलाई, 2025 |
| समिति/विभाग | : | सीए फर्मों के एकत्रीकरण हेतू समिति |
| ई-मेल | : | cacaf@icai.in |
| वेबसाइट | : | www.icai.org |
| मूल्य | : | ₹/- |
| आईएसबीएन | : | 978-93-48313-15-7 |
| प्रकाशक | : | प्रकाशन एवं सीडीएस निदेशालय की ओर सेभारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, आईसीएआई भवन, पोस्ट बॉक्स सं. 7100, इंद्रप्रस्थ मार्ग, नई दिल्ली - 110 002 (भारत) |
| मुद्रक | : | निर्धारित किया जाएगा |

# आईसीएआई के प्रेसिडेंट का संदेश

भारतीय सनदी लेखाकर संस्थान ने प्रगतिशील पहलों, व्यावहारिक मार्गदर्शन तथा दूरदर्शी रूपरेखाओं के माध्यम से एक सक्षमकारी वातावरण का निर्माण कर सीए फर्मों की वृद्धि एवं विकास कोसहायता प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास किए हैं। बदलती आर्थिक एवं व्यावसायिक परिस्थितियों के अनुरूप जैसे-जैसे प्रोफेशन विकसित हो रहा है, यह महत्वपूर्ण है कि सदस्यों को ऐसे संसाधन उपलब्ध हों, जो उन्हें अपनी फर्मों के भविष्य के संबंध में सूचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने में सहायता प्रदान करें।

आईसीएआई (सीए फर्मों के विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 सीए फर्मों की निरंतरता, उत्तराधिकार नियोजन तथा संस्थागत विकास को समर्थन प्रदान करने के लिए एक सुव्यवस्थित रूपरेखा उपलब्ध कराते हैं। इन दिशानिर्देशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज़) व्यावहारिक स्पष्टता प्रदान करने तथा सदस्यों को इस रूपरेखा के विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायता करने के उद्देश्य से तैयार किए गए थे।

भारत की भाषाई एवं सांस्कृतिक विविधता उसकी सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। विभिन्न क्षेत्रों एवं भाषाई पृष्ठभूमियों से जुड़े सदस्यों की सेवा करने वाले पेशे के रूप में यह आवश्यक है कि महत्वपूर्ण मार्गदर्शन ऐसी भाषा में उपलब्ध कराया जाए, जो स्पष्ट समझ तथा व्यावहारिक अनुप्रयोग को सुगम बनाए। इसलिए, इन **अक्सर** पूछे जाने वाले प्रश्नों की विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्धता इनके प्रसार को और अधिक व्यापक बनाने तथा यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि देशभर के सदस्य इस बहुमूल्य मार्गदर्शन से लाभान्वित हो सकें।

मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्रीय भाषा संस्करण सदस्यों को दिशानिर्देशों को बेहतर ढंग से समझने तथा उनके प्रभावी कार्यान्वयन को और अधिक सुगम बनाने में सहायक होंगे। मैं सीए. सतीश कुमार गुप्ता, चेयरमैन, सीए फर्मों के एकत्रीकरण हेतु समिति तथा सीए. संजय कुमार अग्रवाल, वाइस-चेयरमैन, सीए फर्मों के एकत्रीकरण हेतु समिति, को इस प्रकाशन को तैयार करने में उनके नेतृत्व एवं

प्रयासों के लिए बधाई देता हूँ। साथ ही, मैं समिति के सदस्यों तथा इस पहल से जुड़े सभी व्यक्तियों के योगदान के प्रति अपनी सराहना व्यक्त करता हूँ। मैं इस प्रकाशन की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ।

**सीए. प्रसन्ना कुमार डी**

**प्रेसिडेंट, आईसीएआई**

# आईसीएआई के वाइस-प्रेसिडेंट का संदेश

एक प्रगतिशील पेशे की प्रमुख विशेषताओं में से एक है ज्ञान को निरंतर साझा करने, जटिलताओ को सरल बनाने तथा सदस्यों के लिए बहुमूल्य मार्गदर्शन को सहज रूप से उपलब्ध कराने की उसकी क्षमता। तेजी से विकसित होते व्यावसायिक परिवेश में व्यावहारिक एवं विश्वसनीय मार्गदर्शन की समय पर उपलब्धता सदस्यों को सूचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने तथा नए अवसरों को आत्मविश्वास के साथ अपनाने में सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 सनदी लेखाकार फर्मों की वृद्धि, निरंतरता तथा उत्तराधिकार नियोजन के लिए एक महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रदान करते हैं। सदस्यों को दिशानिर्देशों के प्रावधानों तथा उनके व्यावहारिक अनुप्रयोग को समझने में और अधिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न का प्रकाशन इस पेशे के लिए एक सुलभ संदर्भ के रूप में किया गया था।

इन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का विभिन्न भारतीय भाषाओं में अनुवाद एक उल्लेखनीय पहल है, जो इस बहुमूल्य संसाधन को अधिक संख्या में सदस्यों के लिए अधिक सुलभ एवं समझने में आसान बनाएगी। व्यावसायिक मार्गदर्शन तब और अधिक सार्थक हो जाता है, जब सदस्य उसे सहजता से समझकर व्यवहार में लागू कर सकें, और ये क्षेत्रीय भाषा संस्करण इस उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे।

मैं इस महत्वपूर्ण पहल के लिए सीए. सतीश कुमार गुप्ता, चेयरमैन तथा सीए. संजय कुमार अग्रवाल, वाइस-चेयरमैन, सीए फर्मों के एकत्रीकरण हेतु समिति, के प्रयासों की सराहना करता हूँ। साथ ही, मैं समिति के सदस्यों तथा इस प्रकाशन से जुड़े सभी व्यक्तियों के योगदान की भी सराहना करता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह प्रकाशन सदस्यों के लिए एक बहुमूल्य संदर्भ के रूप में

उपयोगी सिद्ध होगा तथा दिशानिर्देशों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने में सहायक होगा।

**सीए. मंगेश किनारे**
**वाइस-प्रेसिडेंट, आईसीएआई**

# एसीएएफसी के चेयरमैन का संदेश

सीए फर्मों के एकत्रीकरण हेतु समिति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है भारत में चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों के विकास, स्थायित्व तथा वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रोत्साहित करना । वर्षों से समिति ऐसे सक्षमकारी ढाँचे विकसित करने, जागरूकता बढ़ाने तथा व्यावहारिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में व्यापक रूप से कार्य करती रही है, जो सीए फर्मों को विस्तार तथा उत्कृष्टता की दिशा में उनकी यात्रा में सहयोग प्रदान करते हैं। आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 को इस दृष्टि के साथ संशोधित किया गया कि सीए फर्मों को एकीकरण, उत्तराधिकार नियोजन तथा दीर्घकालिक संस्थागत विकास के लिए एक सुव्यवस्थित एवं संरचित मार्ग उपलब्ध कराया जा सके। इन दिशानिर्देशों पर आधारित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न का प्रकाशन व्यावहारिक मुद्दों का समाधान करने तथा इनके क्रियान्वयन को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।

भारत की शक्ति उसकी विविधता में निहित है और हमारी सदस्यता भाषा, संस्कृति तथा भौगोलिक विविधता के इसी स्वरूप को प्रतिबिंबित करती है। इसलिए यह आवश्यकता महसूस की गई कि इस महत्वपूर्ण ज्ञान-संसाधन को विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराया जाए, ताकि देशभर के सदस्य इसका लाभ अधिक सहजता एवं स्पष्टता के साथ प्राप्त कर सकें।

यह क्षेत्रीय भाषा संस्करण व्यावसायिक ज्ञान को अधिक सुलभ बनाने तथा यह सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि भाषा, आईसीएआई की रूपरेखा के अंतर्गत उपलब्ध फर्म विकास एवं पुनर्गठन के अवसरों को समझने में बाधा न बने। मुझे आशा है कि यह प्रकाशन सदस्यों को दिशानिर्देशों के प्रावधानों को समझने तथा अपनी फर्मों से संबंधित सूचित एवं विवेकपूर्ण निर्णय लेने में उपयोगी सिद्ध होगा।

मैं आईसीएआई के प्रेसिडेंट, सीए. प्रसन्ना कुमार डी तथा वाइस-प्रेसिडेंट, सीए. मंगेश पी. किनारे द्वारा प्रदान किए गए निरंतर सहयोग, प्रोत्साहन एवं मार्गदर्शन के प्रति अपनी हार्दिक सराहना अभिलेखित करता हूँ। साथ ही, मैं समिति के

सभी सदस्यों तथा इस प्रकाशन को साकार करने में योगदान देने वाले सभी व्यक्तियों के बहुमूल्य योगदान के प्रति भी अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह पहल जागरूकता को और अधिक सुदृढ़ करेगी तथा देशभर में अधिक सशक्त, स्थायी एवं भविष्य के लिए तैयार सीए फर्मों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

**सीए. सतीश कुमार गुप्ता**
**चेयरमैन**
**सीए फर्मों के एकत्रीकरण हेतु समिति**

# एसीएएफसी के वाइस-चेयरमैन का संदेश

**आईसीएआई (सीए फर्मों के विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न**

व्यावसायिक मार्गदर्शन अपने वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति तभी करता है, जब वह उन व्यक्तियों द्वारा, जिनके लिए वह अभिप्रेत है, सहजता से समझा जाए तथा प्रभावी रूप से व्यवहार में लाया जाए। आईसीएआई (सीए फर्मों के विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 उन चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्मों के लिए एक महत्वपूर्ण रूपरेखा प्रदान करते हैं, जो विलय और निर्विलय के माध्यम से विकास, निरंतरता तथा उत्तराधिकार नियोजन को आगे बढ़ाना चाहती हैं। साथ ही, स्पष्ट एवं व्यावहारिक मार्गदर्शन की उपलब्धता भी समान रूप से महत्वपूर्ण है, जो सदस्यों को दिशानिर्देशों के प्रावधानों तथा वास्तविक परिस्थितियों में उनके अनुप्रयोग को समझने में सहायता प्रदान करती है।

इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इन दिशानिर्देशों पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यूज़) तैयार किए गए हैं। सदस्यों द्वारा पूछे जाने वाले सामान्य प्रश्नों एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान करते हुए यह प्रकाशन दिशानिर्देशों की व्याख्या को सरल बनाने तथा विभिन्न प्रक्रियात्मक एवं परिचालन संबंधी पहलुओं पर अधिक स्पष्टता प्रदान करने का प्रयास करता है।

भारत का चार्टर्ड अकाउंटेंट समुदाय अपनी समृद्ध विविधता के लिए जाना जाता है, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों, संस्कृतियों एवं भाषाई पृष्ठभूमियों से जुड़े सदस्य प्रैक्टिस कर रहे हैं। इस विविधता को ध्यान में रखते हुए समिति ने इस प्रकाशन को विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध कराना आवश्यक समझा। इन एफएक्यूज़ का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद इसके प्रसार को और अधिक व्यापक बनाने तथा इस महत्वपूर्ण प्रकाशन को अधिकाधिक सदस्यों तक पहुँचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आशा है कि ये संस्करण सदस्यों को दिशानिर्देशों के प्रावधानों को अधिक सहजता एवं आत्मविश्वास के साथ समझने तथा उन्हें व्यवहार में लागू करने में सहायक सिद्ध होंगे और उनकी व्यावसायिक यात्रा में एक उपयोगी संदर्भ सामग्री के रूप में कार्य करेंगे।

मैं समिति की पहलों को निरंतर प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए आईसीएआई के प्रेसिडेंट, सीए. प्रसन्ना कुमार डी. तथा आईसीएआई के वाइस-प्रेसिडेंट, सीए. मंगेश पी. किनारे के प्रति अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। मैं समिति के उन सभी सदस्यों का भी धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इस पहल में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह प्रकाशन सदस्यों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगा तथा दिशानिर्देशों के प्रति जागरूकता एवं उनकी समझ को और अधिक सुदृढ़ करेगा।

**सीए. संजय कुमार अग्रवाल**
**वाइस-चेयरमैन**
**सीए फर्मों के एकत्रीकरण हेतु समिति**

# आमुख

एक ऐसे विश्व में जहां वृत्तिक कठिनाईयां और जवाबदेही महत्वपूर्ण होती जा रही है, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने फर्मों की पुन:संरचना के लिए एक परिष्कृत और समकालीन दृष्टिकोण के माध्यम से विकास के प्रबंधन में सनदी लेखाकार का समर्थन करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं । **पुनरीक्षित आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024** इस प्रतिबद्धता का एक प्रमाण है, जो नीतियों के एक अनुकूलनीय, सरलीकृत और सुव्यवस्थित सेट को मूर्त रूप देता है, जो सीए फर्मों की आवश्यकताओं के अनुरूप है ।

इन दिशानिर्देशों का पुनरीक्षण सीए फर्मों के सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों की गहन समझ के साथ आरंभ हुआ, जैसे कि विलय के माध्यम से फर्मों की पुन:संरचना को आगे बढ़ाने के लिए आने वाली प्रक्रियात्मक बाधाएं । आईसीएआई की सीए फर्मों के एकत्रीकरण संबंधी समिति (सीएसीएएफ) ने एक व्यापक पुनरीक्षण किया, जिसमें व्यवसायरत सदस्यों के साथ व्यापक परामर्श और सर्वेक्षण किए गए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पुनरीक्षण व्यावहारिक और दूरदर्शी दोनों हैं।

इस पुनरीक्षण प्रक्रिया को विस्तृत विचार-विमर्श और एक सहयोगात्मक दृष्टिकोण द्वारा चिह्नित किया गया था, जिसमें जनता की टीका-टिप्पणियों के लिए एक उदभासन प्रारूप जारी करना और हितधारकों के साथ बहुल परस्पर क्रियाशील सत्रों का आयोजन किया जाना सम्मिलित था । इस समावेशी रणनीति ने यह सुनिश्चित किया कि पुनरीक्षित दिशानिर्देश हमारे व्यवसायरत सदस्यों के विविध परिप्रेक्ष्यों और उनके सामने आने वाली वास्तविक दुनिया की चुनौतियों को दर्शाते हैं ।

इस दस्तावेज़ में सामान्य प्रश्नों का समाधान करने और कार्रवाई किए जाने योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के उद्देश्य से अक्सर पूछे जाने वाले

प्रश्नों का एक संपूर्ण सेट प्रस्तुत किया गया है । ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सदस्यों के लिए एक मूल्यवान उपकरण सिद्ध होंगे, जो पुनरीक्षित दिशानिर्देशों को सुचारू और कुशल रूप से अंगीकार किए जाने को सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट स्पष्टीकरण प्रदान करेंगे । विलयों के प्रचालन में फर्मों की और अधिक सहायता करने के लिए, इस प्रकाशन के साथ एक आदर्श विलय विलेख संलग्न किया गया है, जो विलय की शर्तों, प्रबंधन संरचना, विवाद समाधान तंत्र, ग्राहक हस्तांतरण और सीए फर्मों के लिए एक निर्बाध और विधि के अनुरूप विलय प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए गोपनीयता सुरक्षा उपायों जैसे प्रमुख उपबंधों की रूपरेखा तैयार करता है ।

मैं सीए संजय कुमार अग्रवाल, चेयरमैन, सीएसीएएफ ; सीए बाबू अब्राहम कल्लीवायलिल, वाइस-चेयरमैन, सीएसीएएफ; और समिति के अन्य सदस्यों का उनकी दूरदृष्टि, अटूट प्रतिबद्धता और विचारवान योगदान के लिए आभार व्यक्त करता हूं । उनके समर्पित प्रयासों ने दिशानिर्देशों और समर्थनकारी संसाधनों के इस व्यापक सेट को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो मुझे विश्वास है कि विकसित वृत्तिक परिदृश्य में विकास, समेकन और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने वाली सीए फर्मों के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थकारी उपकरण के रूप में काम करेगा ।

**सीए चरणजोत सिंह नंदा**
**प्रेजिडेंट, आईसीएआई**

# वाइस-प्रेजिडेंट का संदेश

आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 से संबंधित इस प्रकाशन का विमोचन सीए फर्मों को स्थायी रूप से विकास करने, सार्थक सहयोग करने और दूरदर्शिता और आत्मविश्वास के साथ वृत्तिक व्यवसाय की उभरती रूपरेखा के समनुरूप आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाने के हमारे निरंतर प्रयास में एक प्रगतिशील मील का पत्थर है ।

ये पुनरीक्षित दिशानिर्देश केवल प्रक्रियात्मक अभिवर्धन नहीं हैं, वे एक समर्थकारी परिस्थितियां बनाने के लिए आईसीएआई के व्यापक दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां फर्मों का विकास संरचित है, उनमें होने वाले परिवर्तन निर्बाध हैं और स्वतंत्रता, विरासत और निरंतरता जैसे मूल वृत्तिक मूल्यों को संरक्षित किया गया है । आज के गतिशील वृत्तिक परिदृश्य में, अपनी पहुंच का विस्तार करने और संस्थागत क्षमता को मजबूत करने की इच्छा रखने वाली फर्मों के लिए ऐसा ढांचा आवश्यक है ।

एक आदर्श विलय विलेख और विशिष्ट रूप से तैयार किए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के एक व्यापक सेट को सम्मिलित करने से इस प्रकाशन की उपयोगिता और बढ़ जाती है । साथ ही, वे सदस्यों को उपयोग के लिए तैयार, व्यावहारिक उपकरण प्रदान करते हैं जो निर्णय लेने को सरल बनाते हैं, विधिक और प्रशासनिक अनुपालन का समर्थन करते हैं, और फर्मों के अंदर पारदर्शिता और रणनीतिक योजना की संस्कृति को बढ़ावा देते हैं ।

मैं सीए संजय कुमार अग्रवाल, चेयरमैन, सीए फर्मों के एकत्रीकरण संबंधी समिति; सीए बाबू अब्राहम कल्लीवायलिल, वाइस चेयरमैन, सीए फर्मों के एकत्रीकरण संबंधी समिति; और समिति के अन्य सदस्यों का उनकी

दूरदर्शिता और समय के अनुरूप समुचित पहल करने के लिए आभार व्यक्त करता हूं ।

उनके समर्पित प्रयासों ने दिशानिर्देशों और समर्थनकारी संसाधनों के इस व्यापक सेट को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जो मुझे विश्वास है कि विकसित वृत्तिक परिदृश्य में विकास, समेकन और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने वाली सीए फर्मों के लिए एक महत्वपूर्ण समर्थकारी उपकरण के रूप में काम करेगा । मुझे यह विश्वास है कि यह संसाधन फर्मों के समेकन को बढ़ावा देने, सहयोगात्मक उत्कृष्टता का संवर्धन करने और वृत्ति की दीर्घकालिक नमनीयता और प्रासंगिकता में योगदान देने में महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में काम करेगा ।

नई दिल्ली

जुलाई 2025

**सीए. प्रसन्ना कुमार डी**

वाइस-प्रेजिडेंट,आईसीएआई

# प्रस्तावना

कॉर्पोरेट पुन:संरचना के क्षेत्र में, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) ने सदैव स्पष्ट, व्यापक और प्रगतिशील दिशानिर्देश प्रदान करने में अग्रणी रहने का प्रयास किया है । पुनरीक्षित आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 सनदी लेखाकार और उनकी फर्मों को सटीकता और आत्मविश्वास के साथ इन जटिल प्रक्रियाओं के अनुपालन में निरंतर आगे बढ़ने में सहायता करने के हमारे क्रियाशील मिशन में एक महत्वपूर्ण विकास को दर्शाता है । इन अभिवृद्धियों का उद्देश्य फर्मों को अधिक सुगमता और नमनीयता के साथ विकास, परिवर्तन और पुन:संरचना का प्रबंधन करने में सक्षम बनाना है ।

पुनरीक्षित दिशानिर्देश रणनीतिक और प्रक्रियात्मक, दोनों प्रकार की प्रगति को समाहित करते हैं, जो सीए फर्मों के विलय और निर्विलय को निर्बाध रूप से कार्यान्वित करने में सशक्त बनाने के लिए तैयार किए गए हैं । प्रमुख सुधारों में सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं, विलय या निर्विलय के पश्चात् फर्म की पहचान के प्रबंधन के लिए संरक्षित रखने के नए विकल्प और वरिष्ठता और निरंतरता को बनाए रखने के लिए तंत्र सम्मिलित हैं । ये परिशोधन सदस्यों को दिशानिर्देशों से सुसज्जित करने के लिए आईसीएआई की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं जो हमारे वृत्ति को परिभाषित करने वाले स्वतंत्रता और अखंडता संबंधी मूल्यों को अक्षुण्ण रखते हुए आधुनिक वृत्तिक मांगों को पूरा करते हैं । नीतिगत स्तर पर, इन पुनरीक्षित दिशानिर्देशों में अधिक नमनीयता लाई गई है, जिससे फर्मों को विलय की तारीख से 1 वर्ष के पश्चात् और 10 वर्षों के अंदर पृथक् होने, अनुरोध पर अपने नाम को संरक्षित रखने और अपनी स्थापना की मूल तारीख और वरिष्ठता को संरक्षित करते हुए संरक्षण के पश्चात् अपने व्यापार नामों को बनाए रखने में सक्षम बनाया गया है । महत्वपूर्ण रूप से, प्रक्रियात्मक परिवर्तन अब प्राधिकृत प्रबंध भागीदारों को सुगमता से फाइलिंग प्रक्रिया पूरी करने की अनुमति देते हैं, जो डिजिटल

हस्ताक्षरों द्वारा समर्थित है, जो विविध स्थानों पर प्रचालन करने वाली फर्मों को समायोजित करते हैं ।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के संबंध में यह प्रकाशन नवीनतम दिशानिर्देशों के विभिन्न पहलुओं पर स्पष्टता प्रदान करेगा । इस संग्रह में प्रत्येक प्रश्न . और उत्तर को व्यावहारिक समाधान प्रदान करने और पुनरीक्षित नीतियों के लिए एक सहज परिवर्तन की सुविधा प्रदान करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है । हम आशा करते हैं कि यह संसाधन सभी सनदी लेखाकारों को इन परिवर्तनों को पूरी तरह से समझने और लागू करने में सहायता करेंगे तथा अंततः एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देंगे जहां फर्म फल-फूल सकें और सेवा के उच्चतम मानक प्रदान कर सके । इस दस्तावेज़ की उपयोगिता में और वृद्धि करने के लिए एक आदर्श विलय विलेख को सम्मिलित किया गया है, जो विलय करार के आवश्यक विधिक और प्रचालनात्मक तत्वों को सम्मिलित करता है, विलय की शर्तों, प्रबंधन संरचना, विवाद समाधान तंत्र, ग्राहक संक्रमण और गोपनीयता के उपबंधों को रेखांकित करता है, फर्मों को एक मूलभूत टेम्पलेट प्रदान करता है ताकि वे परस्पर परिचर्चा आरंभ कर सकें और अनुपालनकारी और संरचित तरीके से करारों को औपचारिक रूप दे सकें ।

हम इस दस्तावेज़ को आकार देने में सीएसीएएफ के सभी सदस्यों के, उनके विचारशील विचार-विमर्श और अटूट प्रतिबद्धता के लिए आभारी हैं । हितधारकों और व्यवसायरत वृत्तिकों की मूल्यवान अंतर्दृष्टि और योगदान ने इन दिशानिर्देशों की गूढ़ता, प्रासंगिकता और व्यावहारिक उपयोगिता को काफी समृद्ध किया है । हम इस अवसर पर सीएसीएएफ की सचिव सुश्री पारुल गोयल ; सुश्री पूर्णिमा शर्मा ; और उनकी पूरी टीम की उनके समर्थन तथा इस पहल के सफलतापूर्वक समापन के लिए अनुशंसा करते हैं । हम अत्यंत आशापूर्ण रूप से इन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों को देश भर में सीए फर्मों के लिए एक मार्गदर्शक संसाधन के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इस

विश्वास के साथ कि वे एक विकसित वृत्तिक परिदृश्य में उन्हें स्वयं को अग्रसर करने के लिए आवश्यक स्पष्टता और दिशानिर्देश प्रदान करेंगे ।

**सीए संजय कुमार अग्रवाल**
चेयरमैन, सीएसीएएफ

**के. बाबू अब्राहम कल्लीवायलिल**
वाइस चेयरमैन, सीएसीएएफ

जून, 2025

नई दिल्ली

# अस्वीकरण

यह प्रकाशन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मूल अंग्रेज़ी प्रकाशन का अनुवादित संस्करण है और इसे केवल सदस्यों के बीच व्यापक प्रसार तथा समझने में सुगमता प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है।

यद्यपि अनुवाद की सटीकता, पूर्णता और मूल पाठ के प्रति निष्ठा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उचित प्रयास किया गया है, अनजाने में हुई त्रुटियों, छूट अथवा भाषाई भिन्नताओं की संभावना को पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। यदि इस अनुवादित संस्करण और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मूल अंग्रेज़ी प्रकाशन के बीच कोई असंगति, अस्पष्टता, विरोधाभास या अंतर पाया जाता है, तो भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी मूल अंग्रेज़ी संस्करण ही मान्य होगा।

इस प्रकाशन का मूल अंग्रेज़ी संस्करण भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर देखा जा सकता है: https://resource.cdn.icai.org/87330cacaf68004-faq.pdf

यहाँ दिए गए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का उद्देश्य सनदी लेखकर अधिनियम, 1949 की धारा 15(2)(च) के अंतर्गत जारी आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय ) दिशानिर्देश, 2024 के संबंध में स्पष्टता और समझ प्रदान करना है। उक्त अधिनियम में सनदी लेखाकार, लागत एवं कार्य लेखाकार तथा कंपनी सचिव (संशोधन) अधिनियम, 2022 (2022 का 12) द्वारा संशोधन किया गया है। ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा समय-समय पर किए जाने वाले अद्यतनों और संशोधनों के अधीन हैं, जो विनियामक आवश्यकताओं में होने वाले परिवर्तनों अथवा संस्थान द्वारा की जाने वाली व्याख्याओं को प्रतिबिंबित करते हैं। कृपया ध्यान दें कि यद्यपि हम प्रस्तुत जानकारी की सटीकता और प्रासंगिकता सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं, ये अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न संपूर्ण नहीं हैं और इन्हें विधिक परामर्श या विधिक राय के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। उपयोगकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी आधिकारिक दिशा-निर्देशों का परामर्श लें।

इन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में दी गई जानकारी प्रकाशन के समय प्रचलित दिशा-निर्देशों और प्रथाओं पर आधारित है, जैसा कि उस समय समझा गया था।

# अंतर्वस्तु


अध्याय 1- परिचय ..... 1

अध्याय 2. विलय ..... 4

अध्याय 3 फर्म के नाम पर रोक लगाना और पुनः हटाना ..... 10

अध्याय 4. निर्विलय ..... 14

अध्याय 5. विविध ..... 18

अनुलग्नक आदर्श विलय विलेख ..... 24

## अध्याय 1

# परिचय

**प्र1. सीए फर्मों के एकत्रीकरण के लिए विलय किस प्रकार एक महत्वपूर्ण उपकरण है?**

विलय सीए फर्मों के एकत्रीकरण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करता है क्योंकि यह फर्मों को संसाधनों, विशेषज्ञता और ग्राहक आधारों को संयोजित करने में सक्षम बनाता है, इस प्रकार सेवा के प्रस्ताव और प्रचालन दक्षता को बढ़ाता है ।

विलय मूल सक्षमताओं को विकसित करने में सहायता करता है और फर्मों को बड़े भौगोलिक क्षेत्रों में वृत्तिक सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने की अनुमति देता है । विलय से पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं को प्राप्त करने, लागतों को कम करने और बाजार में मजबूत उपस्थिति स्थापित करने में सहयता प्राप्त होती है, जो बड़े ग्राहकों और परियोजनाओं को आकर्षित करती है ।

**प्र2. मैं पूर्णकालिक सीओपी के साथ एक व्यष्टिक वृतिक हूं और पिछले 25 वर्षों से व्यवसाय कर रहा हूं । क्या मैं इन दिशानिर्देशों के अधीन अपने व्यवसाय का एक भागीदारी फर्म के साथ विलय कर सकता हूं?**

जी नहीं, संस्थान से व्यष्टिक वृत्तिक (फर्म/व्यापार नाम के बिना) के अनुमोदन को इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाता है । तथापि, यदि व्यष्टिक वृत्तिक संस्थान से फर्म पंजीकरण संख्या (एफआरएन) प्राप्त करता है, तो आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 के अधीन लाभ प्राप्त कर सकता है ।

**प्र3. हम ए एंड कंपनी नामक फर्म एलएलपी हैं, जो आईसीएआई के साथ पंजीकृत हैं । हम इन दिशानिर्देशों के अधीन एक भागीदारी फर्म के साथ विलय करना चाहते हैं । क्या हम ऐसा कर सकते हैं?**

वर्तमान में एलएलपी एकल स्वामित्व या भागीदारी फर्म के साथ विलय नहीं कर सकता है । एलएलपी केवल एलएलपी अधिनियम, 2008 के लागू उपबंधों के अधीन अन्य एलएलपी के साथ विलय कर सकता है ।

**प्र4. हमारी फर्म ए एंड कंपनी का 2016 में बी एंड कंपनी में विलय हो गया था । क्या हम पुनरीक्षित दिशानिर्देशों के अधीन मूल फर्म का नाम प्राप्त कर सकते हैं?**

जी नहीं, पुनरीक्षित दिशानिर्देशों के संक्रमणकालीन खंड 6 (vi) के अनुसार, इन दिशानिर्देशों के अधीन प्रदान किए गए लाभ का लाभ केवल उन फर्मों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिनका इन दिशानिर्देशों के आरंभ होने से पहले विलय हो गया है और विलय के पश्चात् 5 वर्ष पूरे नहीं हुए हैं ।

**प्र5. क्या बहु-विषयक भागीदारी फर्म इन दिशानिर्देशों के अधीन सम्मिलित हैं?**

पुनरीक्षित दिशानिर्देशों के अधीन, 'फर्म' का वही अर्थ है, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 2(गक) और भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 की धारा 4 में उसका है और इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं, -

i. सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ढ) में यथा परिभाषित सीमित दायित्व भागीदारी ; या

ii एकल स्वामित्व,

जो संस्थान के साथ पंजीकृत है ।

अंत:, बहु-विषयक भागीदारी फर्में वर्तमान में इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत नहीं हैं ।

**प्र6. क्या कोई अंशकालिक सीओपी धारक इन दिशानिर्देशों का लाभ ले सकता है?**

जी नहीं, केवल पूर्णकालिक सीओपी धारण करने वाले सनदी लेखाकार, जो फर्म पंजीकरण संख्या के साथ या एकल स्वामित्व वाली फर्मों के अधीन या संस्थान के साथ पंजीकृत एकल वृत्तिक के रूप में व्यवसाय करने वाली भागीदारी फर्में और एलएलपी इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत आती हैं ।

**प्र7. पुनरीक्षित विलय और निर्विलय दिशानिर्देशों के अधीन कौन पात्र हैं?**

फर्म पंजीकरण संख्या वाले एकल व्यवसायी, एकल स्वाsमित्व वाली फर्म, भागीदारी फर्में और संस्थान के साथ पंजीकृत एलएलपी इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत आती हैं ।

## अध्याय 2

# विलय

**प्र8. हमारी भागीदारी फर्म, एक्सवाईजेड एंड , एक अन्य भागीदारी फर्म के साथ विलय करना चाहती है जो कानूनी लेखा परीक्षा में विशेषज्ञता रखती है । क्या हम इन दिशानिर्देशों के अधीन इस विलय के साथ आगे बढ़ सकते हैं?**

जी हां, भागीदारी फर्म, आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 के अधीन विलय कर सकती हैं । इसके अतिरिक्त, यह सलाह दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 और 144 से उदभूत होने वाले लेखा परीक्षा या गैर-लेखा परीक्षा कार्यों के निर्बधनों के साथ विलय करने वाली फर्मों के बीच लेखा परीक्षा के चक्रानुक्रम की अनुमति न होने या नैतिक संहिता या आचार संहिता में किसी विवाद्यक या विलय के समय फर्मों/एलएलपी पर लागू किसी शासी विधि में किसी भी विवाद्यक के बारे में स्पष्ट रूप से बताएं ।

**प्र9. क्या कोई एलएलपी किसी अन्य एलएलपी के साथ विलय कर सकती है जो भारत के अंदर एक पृथक् राज्य में प्रचालन करती है?**

जी हां, आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 के अनुसार, एलएलपी भारत के अंदर अपने अवस्थान के बाहर किसी अन्य एलएलपी के साथ विलय कर सकता है, तथापि, एलएलपी अधिनियम, 2008 के लागू उपबंधों के अनुपालन के अधीन रहते हुए, एलएलपी विलय के मामले में नाम को संरक्षित रखने और उसे पुन: प्राप्त करने तथा निर्विलय अध्याय का कतिपय परिसीमाओं के लिए निर्देश लें ।

**प्र10. हम डीईएफ़ एंड कंपनी नामक एक भागीदारी फर्म हैं, जो एलएलपी के साथ विलय करने में रुचि रखते हैं । क्या यह विलय आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 के अधीन अनुज्ञेय है?**

जी हां, इन दिशानिर्देशों के अधीन, भागीदारी फर्म संस्थान के साथ पंजीकृत एलएलपी के साथ विलय कर सकती है, तथापि डीईएफ एंड कंपनी के भागीदारों को एलएलपी में भागीदार बनना अपेक्षित होगा और एलएलपी विलय के मामले में नाम को संरक्षित रखने और उसे पुन: प्राप्त करने तथा निर्विलय अध्याय का कतिपय परिसीमाओं के लिए निर्देश प्राप्त करें।

**प्र11. क्या कोई एलएलपी एक ऐसी गैर-सीए फर्म के साथ विलय कर सकती है जो किसी विशिष्ट समनुदेशन के लिए आईटी परामर्श सेवाओं की विशेषज्ञ है?**

जी नहीं, वर्तमान में इन दिशानिर्देशों के अधीन, कोई सीए फर्म किसी गैर-सीए फर्म के साथ विलय नहीं कर सकती है । फर्म पंजीकरण संख्या के साथ केवल एकल व्यवसायी, संस्थान के साथ पंजीकृत एकल स्वामित्व वाली फर्में, भागीदारी फर्में और एलएलपी इन दिशानिर्देशों के विस्तार क्षेत्र के अधीन आते हैं ।

**प्र12. क्या कोई एलएलपी किसी अन्य एलएलपी के साथ विलय कर सकती है जो किसी विदेश में प्रचालन करती है?**

जी नहीं, वर्तमान में ये दिशानिर्देश केवल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान के साथ पंजीकृत एलएलपी पर लागू हैं ।

**प्र13. क्या फर्म को विलय के पश्चात् अपने पुराने फर्म के नाम को बनाए रखने और उपयोग करने की अनुमति है?**

जी नहीं, संरक्षित रखे गए नाम के साथ कोई फर्म तब तक वृत्तिक क्रियाकलाप नहीं कर सकती जब तक कि निर्विलय के दौरान नाम को पुन: प्राप्त न कर लिया गया हो ।

तथापि, निर्विलयित फर्म/फर्में अपने पुराने तत्कालीन फर्म के नाम पर, जो विलय के समय विद्यमान था, विलय की तारीख से 1 वर्ष के पश्चात् और विलय के 10 वर्ष के अंदर इन दिशानिर्देशों के अध्याय 3 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए व्यवसाय करने के लिए हकदार है ।

**प्र14. क्या संस्थान के साथ विलय फाइल करते समय लिखित विलेख में सभी भागीदारों के हस्ताक्षर अनिवार्य हैं?**

जी हां, सभी भागीदारों के हस्ताक्षर या तो मूल या डिजिटल रूप में, विलय के दौरान एसएसपी पोर्टल पर अपलोड किए जाने वाले प्रारूप 'एमडीजी 1' के साथ लिखित विलेख में सम्मिलित करना अनिवार्य हैं।

**प्र15. क्या एमडीजी-1 के निष्पादन के लिए कोई विनिर्दिष्ट अध्यपेक्षा है?**

जी हां, एमडीजी-1 को 'भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899' के अनुसार गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित किया जाना चाहिए । फर्मों को इसकी विधिक वैधता बनाए रखने के लिए समझौते का उचित निष्पादन सुनिश्चित करना चाहिए ।

**प्र16. पुनरीक्षित दिशानिर्देशों के अधीन अनुसरित की जाने वाली विलय की प्रक्रिया क्या है?**

पुनरीक्षित दिशानिर्देशों के अनुसार, विलय की प्रक्रिया इस प्रकार है-

- विलय को प्रभावी बनाने के लिए, विलय की तारीख से 30 दिनों के अंदर संस्थान को प्रारूप 'एमडीजी 1' में एक विलय करार फाइल किया जाता है ।

- प्रारूप 'एमडीजी 1' के साथ मूल रूप से/डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित समर्थनकारी दस्तावेज अपलोड किया जाना अपेक्षित होगा ।

- प्रयोज्यता के अनुसार पुन:संरचना करार/भागीदारी विलेख फर्मों के रजिस्ट्रार/आरओसी को फाइल किया जाएगा ।

- इसके अतिरिक्त, आईसीएआई के साथ पंजीकृत फर्म के विलय पर, विलय करने वाली फर्म/फर्मों के अनुरोध पर, आईसीएआई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20ख के प्रतिनिर्देश से विलय करने वाली फर्म/फर्मों के नाम को संरक्षित कर देगा, जब तक कि प्रारूप एमडीजी 3 को सम्यक् रूप से फाइल करते हुए नाम की संरक्षा को समाप्त करने का अनुरोध न प्रस्तुत किया जाए ।

- इसके अतिरिक्त, एमडीजी 1 प्रारूप फाइल करते समय, विलय करने की इच्छा रखने वाली प्रत्येक फर्म को ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से स्व-सेवा पोर्टल (एसएसपी) पर विलय की पूरी प्रक्रिया को अधिप्रमाणित करने के लिए एक प्रबंध भागीदार को प्राधिकृत करना अपेक्षित होगा और साथ ही वचनबंध के माध्यम से एक भागीदार को सह-प्राधिकृत करना अपेक्षित होगा।

**प्र17. एक फर्म 15 भागीदारों की एलएलपी के साथ विलय करने का आशय रखती है । आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 के अधीन एसएसपी पोर्टल पर विलय**

**प्रक्रिया को अधिप्रमाणित करने के लिए कितने प्रबंध भागीदारों को प्राधिकृत किया जाएगा?**

आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 के अनुसार, प्रारूप 'एमडीजी 1' फाइल करते समय, विलय का आशय रखने वाली प्रत्येक फर्म को ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से स्वयं-सेवा पोर्टल (एसएसपी) पर विलय की पूरी प्रक्रिया को अधिप्रमाणित करने के लिए एक प्रबंध भागीदार को प्राधिकृत करने और एक वचनबंध के माध्यम से एक भागीदार को सह-प्राधिकृत करने की अपेक्षा होगी ।

तदनुसार, दो प्रबंध भागीदारों, एक फर्म से और एक एलएलपी से, को विलय प्रक्रिया को अधिप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

**प्र18. विलय के पश्चात्, विलय हुई फर्म में भागीदार के सम्मिलित होने या सेवानिवृत्ति को कौन प्राधिकृत करेगा?**

विलय हुई फर्म में सम्मिलित होने या सेवानिवृत्त होने वाले भागीदार के साथ प्राधिकृत प्रबंध भागीदार एसएसपी पोर्टल पर उक्त परिवर्तन को प्रभावी बनाने के लिए ओटीपी प्रदान करेगा ।

**प्र19. आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 के अधीन प्राधिकृत प्रबंध भागीदारों को किस प्रकार की विनिर्दिष्ट भूमिकाएं और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं?**

आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 के अधीन, विलय करने वाली फर्मों के प्राधिकृत प्रबंध भागीदारों को विलय प्रक्रिया के दौरान विनिर्दिष्ट भूमिकाएं और उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं । उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वे :

i. ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से स्वयं-सेवा पोर्टल (एसएसपी) पर विलय की पूरी प्रक्रिया को अधिप्रमाणित करें । तथापि, प्रारूप

'एमडीजी 1' के साथ मूल/डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित समर्थकारी दस्तावेज अपलोड करना अपेक्षित होगा ।

ii. हर समय फर्म/(मों) के व्यवसाय से संबंधित सभी दस्तावेज जैसे भागीदारी विलेख, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति या भागीदारों के सम्मिलित होने से संबंधित दस्तावेज, रोजगार और योग्य सहायकों की सेवामुक्ति संबंधी दस्तावेज और किसी भी फर्म / एलएलपी के गठन या पुनर्गठन के लिए दिए गए अनुमोदन संबंधी विवरण, फर्म/एलएलपी की संपत्ति से संबंधित दस्तावेज, कर विवरणियां, बैंक हस्ताक्षरकर्ता विवरण अपने पास रखेंगे, जिन्हें आईसीएआई द्वारा समय-समय पर किसी भी विवाद या आईसीएआई द्वारा अपेक्षित किसी जांच या पुष्टि के लिए आवश्यक होने पर आईसीएआई द्वारा मांगा जा सकता है ।

iii. अधिनियम, 2013 की धारा 144 के कारण उद्भूत होने के लिए संभावित लेखा परीक्षा या गैर-लेखा परीक्षा कार्यों पर निर्बंधनों के बारे में अन्य विलय करने वाली फर्मों को स्पष्ट रूप से बताएं और साथ ही विलय करने वाली फर्मों के बीच लेखा परीक्षा के चक्रानुक्रम की अनुमति न होने या आचार संहिता या नैतिक संहिता या किसी अन्य शासी विधि में किसी विवाद्यक के संबंध में स्पष्ट रूप से बताएं ।

iv. विलय की गई फर्म में किसी भागीदार के सम्मिलित होने या उसकी सेवानिवृत्ति के समय सम्मिलित होने वाले या सेवानिवृत्त होने वाले भागीदार ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से एसएसपी पोर्टल पर विलय की पूरी प्रक्रिया को अधिप्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत प्रबंध भागीदार ओटीपी भी प्रदान करेगा ।

अध्याय 3

# फर्म के नाम पर रोक लगाना और पुनः हटाना

**प्र20. फर्म के नाम पर रोक लगाने की प्रक्रिया क्या है?**

आईसीएआई के साथ पंजीकृत फर्म के विलय के पश्चात्, विलय करने वाली फर्म/फर्मों के अनुरोध पर, आईसीएआई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20ख के प्रतिनिर्देश से विलय करने वाली फर्म के नाम पर रोक लगाएगा। आईसीएआई द्वारा प्रारूप 'च' में फर्म के नाम पर रोक लगाने का प्रमाणपत्र प्रत्येक फर्म को जारी किया जाएगा, जिसमें दी गई फर्म के नाम पर रोक लगाने अरु हटाने संबंधी विवरण सम्मिलित होगा ।

**प्र21. मैं किसी अन्य फर्म के साथ विलय किए बिना अपनी फर्म के नाम पर रोक लगवाना चाहता हूं । क्या मैं आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 के अधीन ऐसा कर सकता हूं?**

जी नहीं, वर्तमान में फर्म के नाम पर रोक लगाने की सुविधा केवल विलय के उद्देश्य से है, अर्थात् किसी फर्म के नाम पर रोक लगाने का लाभ तभी उठाया जा सकता है जब वह फर्म किसी अन्य फर्म के साथ विलय कर रही हो ।

**प्र22. हम ए एंड कंपनी एलएलपी हैं; हम बी एंड कंपनी एलएलपी के साथ विलय करना चाहते हैं । क्या हम इस विलय के दौरान अपनी फर्म के नाम पर रोक लगा सकते हैं?**

जी नहीं, एलएलपी के बीच विलय की प्रक्रिया एलएलपी अधिनियम, 2008 के लागू उपबंधों द्वारा शासित होगी, तथापि यदि वह भागीदारी फर्म है तो यह दिशानिर्देशों में उपलब्ध है ।

**प्र23. क्या कोई फर्म अपने तत्कालीन नाम के अधीन वृत्तिक सेवाएं प्रदान करना जारी रख सकती है, जबकि नाम पर रोक लगाई गई है और विलय प्रवृत्त है?**

जी नहीं, नाम पर लगी रोक वाली फर्म विलय के प्रवृत्त रहने के दौरान अपने तत्कालीन नाम से कोई वृत्तिक क्रियाकलाप नहीं कर सकती है ।

**प्र24. आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 के अधीन, किसी फर्म के नाम पर कितने समय तक रोक लगाई जा सकती है?**

आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 के अनुसार, विलय करने वाली फर्मों द्वारा अपने निर्विलय के दौरान नाम पर लगी रोक को हटाया जा सकता है । दिशानिर्देश के अध्याय 4 और अन्य लागू उपबंधों में अंतर्विष्ट उपबंधों का अनुपालन करने के अधीन रहते हुए विलय की तारीख से 1 वर्ष के पश्चात् और 10 वर्षों के अंदर निर्विलय की मांग की जा सकती है ।

**प्र25. क्या आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 के अधीन फर्म के नाम पर रोक लगाना अनिवार्य है?**

जी हां, आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 के अधीन फर्म के नाम पर रोक लगाना अनिवार्य है ।

**प्र26. क्या मैं अपनी फर्म के तत्कालीन नाम पर लगी रोक को निर्विलय किए बिना हटा सकता हूं?**

जी नहीं, निर्विलय के बिना फर्म के तत्कालीन नाम पर लगी रोक को हटाया नहीं किया जा सकता है । पुनरीक्षित दिशानिर्देशों के अनुसार, फर्म के नाम पर लगी रोक को हटाने के लिए निर्विलय करने

वाली फर्मों द्वारा प्रारूप एमडीजी 2 प्रारूपके साथ सम्यक् रूप से भरा हुआ प्रारूप 'एमडीजी 3' फाइल किया जाना अपेक्षित है, जिसके पश्चात् फर्म के नाम को पुन: प्राप्त करने हेतु पुष्टि करने वाला प्रमाणपत्र आईसीएआई द्वारा पृथक् रूप से जारी किया जाएगा ।

तथापि, इसका एक अपवाद है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 20ग के प्रतिनिर्देश से फर्मों के रजिस्टर से सहबद्ध और प्राधिकृत एमआरएन को हटाने की दशा में, संस्थान बिना निर्विलय के नाम पर लगी रोक को हटा र देगा ।

**प्र27. फर्म के नाम पर लगी रोक को हटाने की प्रक्रिया क्या है?**

फर्म के नाम पर लगी रोक को हटाने की प्रक्रिया निम्नानुसार है :

i. निर्विलय करने वाली फर्मों द्वारा सम्यक् रूप से भरा हुआ प्रारूप "एमडीजी 3", प्रारूप "एमडीजी 2" के साथ फाइल किया जाएगा ।

ii. फर्म के नाम पर रोक हटाने के लिए, 75% जीवित भागीदारों की सहमति अपेक्षित है ।

iii. यदि भागीदार समयावधि में सेवानिवृत्त हो जाते हैं या त्यागपत्र दे देते हैं, तो उन्हें भागीदारों में परिवर्तन के संबंध में आईसीएआई को सूचित करना अपेक्षित होता है और भविष्य में फर्म के नाम पर रोक हटाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के माध्यम से शेष भागीदारों को भी प्राधिकृत किया जाएगा ।

iv. इसके पश्चात्, फर्म के नाम पर रोक की पुष्टि करने वाला एक प्रमाण पत्र आईसीएआई द्वारा पृथक् रूप से जारी किया जाएगा, साथ ही फर्म के नाम को संरक्षित रखने/पुन: प्राप्त करने की जानकारी भी दी जाएगी ।

**प्र28. यदि विलय के पश्चात् कोई भागीदारी फर्म एलएलपी में परिवर्तित हो जाती है, तो क्या यह तत्कालीन भागीदारी फर्म के फर्म के नाम को पुन: प्राप्त कर सकती है?**

यदि विलय की गई फर्म विलय के पश्चात् अपने अस्तित्व के प्रकार को परिवर्तित करती है, तो विलय के पश्चात् किए गए अस्तित्व के निर्विलय/विघटन के साथ सम्यक् रूप से भरे गए प्रारूप 'एमडीजी 3' और 'एमडीजी 2' को प्रस्तुत करने पर मूल रूप से विलय हुई फर्म के नाम/व्यापार नाम पर रोक हटाने का अनुरोध किया जा सकता है ।

## अध्याय 4

# निर्विलय

**प्र29. क्या हम विलय की गई फर्म के बिना निर्विलय कर सकते हैं?**

जी नहीं, वर्तमान में, निर्विलय की अनुमति केवल ऐसे अस्तित्वों के लिए दी जाएगी जिनका अतीत में विलय हुआ है ।

**प्र30. तीन साल पहले तीन पृथक्-पृथक् इकाइयों और विलय की गई फर्मों में से एक को मिलाकर एक फर्म का विलय हुआ था । क्या इसके लिए निर्विलय की आवश्यकता है, या क्या भागीदार के लिए केवल त्यागपत्र देना पर्याप्त है?**

जी हां, निर्विलय का आशय रखने वाली फर्म द्वारा एक निर्विलय आवेदन प्रस्तुत करना अपेक्षित है । पुनरीक्षित दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि तत्कालीन फर्म/फर्मों में से किसी एक के 75% या उससे अधिक निरंतर भागीदार निर्विलय करने के इच्छुक हैं, तो वे अन्य भागीदारों और संस्थान को प्रारूपएमडीजी 2 में उचित सूचना देने के पश्चात् ऐसा कर सकते हैं । विलय हुई फर्म में सम्मिलित होने वाली या उसे छोड़ने वाली प्रत्येक फर्म लागू उपबंधों के अनुसार सम्यक् प्रक्रियाओं का पालन करेगी ।

**प्र31. छह वर्ष पूर्व तीन फर्मों का विलय हुआ था । अब, दो भागीदार सेवानिवृत्ति होने वाले हैं और एक भागीदार फर्म छोड़ना चाहता है। क्या इसके लिए निर्विलय अपेक्षित है?**

जी नहीं, यदि भागीदार समयानुसार सेवानिवृत्त हो जाते हैं या त्यागपत्र दे देते हैं, तो उनके द्वारा भागीदारों में परिवर्तन के लिए आईसीएआई को संसूचित करना अपेक्षित है और वे भविष्य में फर्म के नाम को पुन: प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के माध्यम से शेष भागीदारों को भी प्राधिकृत करेंगे ।

**प्र32. आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 के अधीन निर्विलय की प्रक्रिया क्या है?**

पुनरीक्षित दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्विलय की प्रक्रिया निम्नानुसार है-

- विलय करार में ही निर्विलय संबंधी निबंधन और शर्तें अंतर्विष्ट होंगी । अंत:, निरंतर भागीदारों से किसी सहमति/स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है । विलय करार यह अनुबंधित करेगा कि भागीदारी विलेख में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि तत्कालीन फर्म (फर्मों) में से किसी एक के 75% या उससे अधिक निरंतर भागीदार निर्विलय **के लिए** इच्छुक हैं तो वे अन्य भागीदारों तथा संस्थान को प्रारूप एमडीजी 2 में सम्यक् सूचना देकर ऐसा कर सकते हैं ।

- तथापि, उस दशा में, जहां तत्कालीन विलय करने वाली फर्मों में से किसी एक के 75% या उससे अधिक निरंतर भागीदार अन्य भागीदारों को सम्यक् सूचना देने के पश्चात् निर्विलयित हो गए हैं, तो विलय हुई फर्म के लिए विलय समाप्त हो जाएगा और यदि विलय की गई फर्म/(मों)/भागीदार विलय हुई फर्म/भागीदारी को जारी रखने का निर्णय लेते हैं, तो वे पुनर्गठन विलय करार/भागीदारी विलेख पर हस्ताक्षर कर सकते हैं ।

- एलएलपी अधिनियम, 2008 जैसी अन्य सहबद्ध विधियों के लागू उपबंधों को फर्म की ओर से कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

**प्र33. प्राधिकृत प्रबंध भागीदार की मृत्यु की दशा में एसएसपी पोर्टल पर निर्विलय को कौन अधिप्रमाणित करेगा?**

समय के दौरान प्राधिकृत प्रबंध भागीदार की मृत्यु होने की दशा में सह-प्राधिकृत भागीदार ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से एसएसपी पोर्टल पर निर्विलय की पूरी प्रक्रिया को अधिप्रमाणित करेगा ।

**प्र34. यदि तत्कालीन विलय हुई फर्मों में से किसी एक के 75% से अधिक निरंतर भागीदार निर्विलय करने का निर्णय लेते हैं, तो क्या यह निर्विलय आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 के अधीन विलय की गई फर्म में शेष फर्मों के लिए विलय को स्वत: रूप से समाप्त कर देता है?**

जी नहीं, यदि उक्त विलय हुई फर्म के 75% या उससे अधिक निरंतर भागीदार अन्य भागीदारों को सम्यक् सूचना देने के पश्चात् निर्विलय करते हैं तो उस दशा में, विलय केवल निर्विलय करने वाली फर्मों के लिए समाप्त हो जाएगा । यदि विलय हुई फर्मों की शेष फर्मों/भागीदार विलय को जारी रखने का निर्णय लेते हैं, तो उन्हें एक पुनर्गठित विलय करार/भागीदारी विलेख पर हस्ताक्षर करने चाहिए । विलय हुई फर्म में सम्मिलित होने वाली या उसे छोड़ने वाली प्रत्येक फर्म लागू उपबंधों के अनुसार सम्यक् प्रक्रियाओं का पालन करेगी ।

**प्र35. हम ए एंड कंपनी एलएलपी हैं, जिसका 6 मास पहले विलय हुआ था । हम अब निर्विलय की वांछा करते हैं । क्या हम इस प्रक्रम पर निर्विलय करने के पात्र हैं?**

जी नहीं, पुनरीक्षित दिशानिर्देशों के अनुसार, दिशानिर्देशों के अध्याय 4 और अन्य लागू उपबंधों में अंतर्विष्ट उपबंधों को पूरा करने के अधीन रहते हुए विलय की तारीख से 1 वर्ष के पश्चात् और 10 वर्ष के अंदर निर्विलय की मांग की जा सकती है ।

**प्र36. हम ई एंड कंपनी नामक फर्म हैं जो एफ एंड कंपनी नामक फर्म एलएलपी के साथ विलय कर रही है । यदि प्राधिकृत प्रबंध भागीदार**

**निर्विलय प्रक्रिया के दौरान सेवानिवृत्त हो जाता है, तो अधिप्रमाणन की प्रक्रिया किस प्रकार पूरी की जाएगी?**

यदि प्राधिकृत प्रबंध भागीदार समय के दौरान सेवानिवृत्त हो जाता है, तो सह-प्राधिकृत भागीदार ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से एसएसपी पोर्टल पर निर्विलय की पूरी प्रक्रिया को अधिप्रमाणित करेगा ।

इसके अतिरिक्त, यह उल्लेखनीय है कि यदि भागीदार सेवानिवृत्त हो जाते हैं या समयावधि में त्यागपत्र दे देते हैं, तो उन्हें भागीदारों में परिवर्तन के लिए आईसीएआई को संसूचित करने की आवश्यकता होती है और भविष्य में फर्म के नाम को पुन: प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के माध्यम से शेष भागीदारों को भी प्राधिकृत किया जाएगा ।

## अध्याय 5

# विविध

**प्र37. क्या किसी फर्म के लिए किसी अन्य फर्म के साथ विलय करना संभव है यदि वह पहले से ही एक नेटवर्क का हिस्सा है?**

किसी नेटवर्क का हिस्सा होने के कारण फर्म को किसी अन्य फर्म के साथ विलय करने से रोका नहीं जा सकता । तथापि, फर्म को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह नेटवर्क की व्यवस्था में उल्लिखित निबंधनों को पूरा करती है ।

साथ ही, विलय प्रक्रिया के दौरान, यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि नेटवर्क संबद्धता के संबंध में सभी विधिक और विनियामक दायित्वों को पूरा किया जाता है । इसमें ऐसे कोई करार या निर्बंधन सम्मिलित है जो विलय के पश्चात् विलय करने वाले नए अस्तित्व के प्रचालन या विलय को प्रभावित कर सकता है । जहां कहीं अपेक्षित हो भागीदारी अधिनियम, 1932 और सीए अधिनियम, 1949 के उपबंधों का अनुपालन किया जाना अपेक्षित है ।

**प्र38. विलय हुई फर्मों में दो फर्मों से पारिश्रमिक प्राप्त करने वाले भागीदार के लिए पारिश्रमिक कैसे निर्धारित किया जाना चाहिए? इस संबंध में पुनरीक्षित दिशानिर्देशों के अंतर्गत क्या उपबंध हैं?**

दो फर्मों में समान रूप से भागीदार के पारिश्रमिक की मात्रा निर्धारित करने के संबंध में कोई उपबंध नहीं है । यह फर्मों और भागीदार के बीच एक आंतरिक व्यवस्था है और इसे आपस में इस शर्त के अधीन पारस्परिक रूप से तय किया जाना है कि यह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949, सनदी लेखाकार विनियम, 1988 और आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए ।

**प्र39. क्या ऐसी मौजूदा फर्म के लिए प्रारूप एडीटी-3 फाइल किया जाना चाहिए जहां वह विलय से पूर्व एक संपरीक्षक है?**

यदि फर्म के संपरीक्षक के रूप में नियुक्त फर्म विलय के पश्चात् उसी नाम से अपना प्रचालन जारी रखती है, तो प्रारूप एडीटी -3 फाइल करने की आवश्यकता नहीं है । तथापि, यदि विलय के दौरान, फर्म पृथक् नाम और पृथक् एफआरएन के अधीन अपने क्रियाकलाप जारी रखने का विकल्प चुनती है और साथ ही संस्थान के साथ अपने नाम को संरक्षित कर देती है, तो विलय हुई फर्म के लिए प्रारूप एडीटी -3 फाइल करने और उनकी ओर से लागू विधियों के अनुसार अन्य अनुपालनों का पालन करने की आवश्यकता हो सकेगी ।

**प्र40. सीए फर्मों के विलय के पश्चात् चल रहे लेखा परीक्षा लेखा परीक्षाकार्य की प्रास्थिति क्या होगी? क्या विलय की गई फर्म स्वचालित रूप से इन नियोजनों को जारी रखेगी?**

जी नहीं, विलय करने वाली फर्म के चालू लेखा परीक्षा लेखा परीक्षासमनुदेशन स्वत: विलय हुई फर्म के साथ जारी नहीं रहते हैं । वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि विलय भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय (सीएजी) या वृत्तिक विकास समिति (पीडीसी), एमईएफ के लिए आईसीएआई जैसे प्राधिकरणों द्वारा तैयार किए गए पैनल में सम्मिलित करने के लिए नियत अंतिम तारीख से पहले होता है, तो विलय करने वाली फर्म निष्क्रिय हो जाती है और पैनल के लिए आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होती है । परिणामस्वरूप, उसके द्वारा किए जा रहे समनुदेशन विलय की गई फर्म के साथ जारी नहीं रहते हैं ।

दृष्टांत:

उदाहरण के लिए, यदि ए एंड कंपनी नामक फर्म (एफआरएन 001000सी) का 1 जनवरी 2025 (वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सीएजी के साथ पैनल में सम्मिलित होने की अंतिम तारीख) से पूर्व बी एंड कंपनी नामक फर्म (एफआरएन 020001W) में विलय हो जाता है तो केवल बी एंड कंपनी नामक फर्म ही पैनल के लिए आवेदन कर सकेगी । यदि विलय के समय ए एंड कंपनी नामक फर्म के पास वित्त वर्ष 2024-25 के लिए चालू सीएजी लेखा परीक्षासमनुदेशन था, तो वह स्वत: रूप से विलय की गई फर्म के साथ जारी नहीं रहता है ।

तथापि, इस संबंध में स्पष्टीकरण देने के लिए आरबीआई, सीएजी जैसे विभिन्न संस्थाओं, जिनकी लेखा परीक्षा की गई है, के साथ इस मामले पर विचार किया जाएगा ।

**प्र41. यदि दो पैनलबद्ध फर्मों का विलय हो जाता है, तो विलय के पश्चात् अपने पैनल की प्रास्थिति को बनाए रखने के लिए पात्रता मानदंड क्या होंगे?**

पैनल में सम्मिलित किए जाने के लिए विलय की गई फर्म की पात्रता भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय (सीएजी कार्यालय) के साथ पैनल में सम्मिलित होने के लिए निर्धारित अंतिम तारीख के संबंध में विलय के समय पर निर्भर करती है और एमईएफ के लिए वृत्तिक विकास समिति (पीडीसी), आईसीएआई के साथ पैनल में सम्मिलित होने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को, बैंक शाखा लेखा परीक्षक पैनल तैयार करने का आधार उपलब्ध कराती है ।

विलय के मामले में, केवल विलय हुई फर्म ही पैनल हेतु आवेदन करने के लिए पात्र होगी, किंतु इस बात के अधीन रहते हुए कि विलय निर्धारित अंतिम तारीख से पूर्व या उसके पश्चात् हुआ है अथवा नहीं । विलय करने वाली फर्म विलय के पश्चात् निष्क्रिय हो जाती है और

अलग से आवेदन प्रस्तुत नहीं कर सकती है । विलय हुई फर्म को संबंधित बैंक को गठन में किसी भी परिवर्तन की घोषणा करनी चाहिए, खासकर यदि विलय दूसरे सत्यापन या लेखा परीक्षा आबंटन के पश्चात् होता है, क्योंकि अप्रकटीकरण निरंतरता या पुनर्नियुक्ति को प्रभावित कर सकता है ।

दृष्टांत :

बैंक शाखा लेखा परीक्षकों के पैनल के लिए एमईएफ में पैनलबद्ध किए जाने की दशा में - वित्तीय वर्ष 2025-26 (मार्च-अप्रैल, 2026 में किए जाने वाले) के लिए लेखा परीक्षा हेतु बैंक शाखा लेखा परीक्षकों के लिए पैनल तैयार करने हेतु आईसीएआई 1 जुलाई, 2025 की अंतिम तारीख के आधार पर डाटा के दूसरे सत्यापन के साथ पैनल तैयार करता है जो सामान्यत: अक्टूबर/नवंबर के मास में होता है । बैंक शाखा लेखा परीक्षा के लिए आबंटन प्राय: अगले वर्ष मार्च के महीने में किया जाता है । इस मामले में:

- यदि ए एंड कंपनी नामक फर्म (मान लीजिए एफआरएन 001000सी) का बी एंड कंपनी नामक फर्म (मान लीजिए एफआरएन 020001डब्ल्यू) में 1 जुलाई 2025 से पूर्व विलय हो जाता है, तो बी एंड कंपनी नमक फर्म (मान लीजिए एफआरएन 020001डब्ल्यू) केवल एमईएफ के लिए आवेदन करने में समर्थ होगी ।

- यदि डाटा के दूसरे सत्यापन के पश्चात् विलय होता है, तो फर्म के गठन में किसी भी परिवर्तन को फर्म द्वारा संबंधित बैंक को बैंक शाखा लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के समय घोषित किया जाना अपेक्षित है ।

- यदि विलय मार्च, 2026 में बैंक शाखा लेखा परीक्षा के आबंटन के पश्चात् होता है, किंतु अप्रैल, 2026 में लेखा परीक्षा पूरा होने

से पूर्व होता है तो इसे संबंधित बैंक शाखा द्वारा पुनर्विलोकित किए जाने की आवश्यकता होगी ।

**प्र42. आईसीएआई, सेबी, आरबीआई और सीएजी के कार्यालय द्वारा अधिरोपित विलय के मामले में लेखा परीक्षा समनुदेशनों की अधिकतम सीमा क्या होगी?**

विलय के पश्चात्, केवल विलय हुई फर्म सक्रिय रहती है जबकि विलय करने वाली फर्म निष्क्रिय हो जाती है । विलय करने वाली फर्म पर लागू लेखा परीक्षा समनुदेशनों की अधिकतम सीमा संबंधित विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित संबंधित विनियमों और दिशानिर्देशों द्वारा शासित होगी ।

**प्र43. ऐसे मामलों में कानूनी लेखा परीक्षा आबंटित करने और पुन: आबंटित करने का अधिकार किसके पास है – लेखा परीक्षा कराने वाले अस्तित्व, बैंक या आरबीआई?**

कानूनी लेखा परीक्षा आबंटित करने और पुन: आबंटित करने का अधिकार संबंधित विनियामक प्राधिकरण के पास है । भारतीय रिजर्व बैंक, सीएजी कार्यालय द्वारा जारी प्रवृत्त दिशानिर्देशों और परिपत्रों के अनुसार :

- सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) की कानूनी लेखा परीक्षा के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के पास संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तावित लेखा परीक्षा समनुदेशनों को अनुमोदित करने का प्राधिकार है ।

- अन्य कानूनी लेखा परीक्षाओं के लिए, लेखा परीक्षा कराने वाले अस्तित्व या संबंधित विनियामक निकाय - जैसे कि सीएजी या सेबी का कार्यालय के पास अंतिम प्राधिकार होगा ।

ये निर्णय, यथास्थिति, संबंधित विनियामक या लेखा परीक्षक द्वारा जारी लेखा परीक्षकों की नियुक्ति और पुनर्नियुक्ति पर लागू मानदंडों द्वारा भी निर्देशित होते हैं ।

**प्र44. सीए फर्म द्वारा लेखा परीक्षा समनुदेशन के पूरा होने के पश्चात्, इसकी विवक्षाओं और अनुबंधित कार्यावधि, जिसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा उद्धृत पात्रता के आधार पर अन्य सीए फर्मों के साथ इसके संभावित विलय को प्रभावित कर सकता है ।**

भारतीय रिजर्व बैंक और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विलय हुई फर्मों के संबंध में उनके भागीदारों/वेतनभोगी कर्मचारियों/स्थापना के वर्ष आदि के लिए भिनन-भिन्न दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है । माननीय सदस्य को सीए फर्मों/एलएलपी के पैनल में सम्मिलित करने के लिए सीएजी की नीति, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के एससीए या एसबीए के रूप में नियुक्त की जाने वाली लेखा परीक्षा फर्मों के लिए पात्रता मानदंड आदि जैसे ब्यौरे के लिए संबंधित दिशानिर्देशों को प्रतिनिर्दिष्ट करना होगा ।

अनुलग्नक

# आदर्श विलय विलेख

यह विलय विलेख (जिसे यहाँ पर संक्षेप में "विलेख" कहा गया है)

तारीख …… को

1.

और

2.

के मध्य निष्पादित किया गया ।

पक्षकार, सेवा प्रस्तावों, मूल सक्षमताओं का विस्तार करने और अभिवर्धित भौगोलिक उपस्थिति के साथ संयुक्त दृढ़ता से तालमेल स्थापित करने के लिए अपनी-अपनी फर्मों का विलय करना चाहते हैं ।

अत:, अब, परस्पर अनुबंधों और करारों को ध्यान में रखते हुए, पक्षकार एतद्द्वारा निम्नानुसार करार करते हैं :

**1. फर्म का नाम**

विलय हुई फर्म का नाम..... होगा और इसकी स्थापना की तारीख, सबसे पुरानी/पुरानी फर्म की स्थापना की तारीख होगी अर्थात..... । यह विलय तारीख ..... से प्रभावी होगा ।

प्रभावी समय पर और इस विलेख के नियमों और शर्तों के अधीन रहते हुए और लागू विधियों के अनुसार, ..... के साथ और उसमें विलय कर दिया जाएगा जिससे पृथक् अस्तित्व समाप्त हो जाएगा और ..... जीवित इकाई के रूप में अपना अस्तित्व जारी रखेगा । यदि विलय के समय फर्म पंजीकरण संख्या के साथ विलय करने वाली फर्म/एकल व्यवसायी का

नाम संरक्षित कर दिया जाता है, तो यह किसी भी पश्चातवर्ती निर्विलय प्रक्रिया के पूरा होने तक प्रभावी रहेगा, जिस बिंदु पर नाम को आईसीएआई (सीए फर्मों का विलय और निर्विलय) दिशानिर्देश, 2024 में उल्लिखित शर्तों के अधीन पुन: प्राप्त किया जा सकता है, और फर्म पंजीकरण के साथ विलय करने वाली फर्म/एकल व्यवसायी अपने मूल नाम से पुन: क्रियाकलाप आरंभ कर सकते हैं, जिससे उनका पृथक् अस्तित्व पुन: जीवित हो जाएगा ।

फर्म पंजीकरण संख्या के साथ विलय करने वाली फर्म (फर्मों) / एकल व्यवसायी नाम को संरक्षित रखने के संबंध में आईसीएआई द्वारा प्रदान की गई प्रसुविधा के बारे में अपनी समझ की पुष्टि करते हैं और संरक्षित किए गए फर्म के व्यष्टिक नाम (फर्म पंजीकरण संख्या/एफआरएन के साथ) से व्यवसाय करने वाले भागीदार/स्वामी/व्यवसायी ऐसी फर्म में कोई वृत्तिक क्रियाकलाप नहीं कर सकते हैं ।

दिशानिर्देशों में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, संरक्षित रखे गए नाम को तत्पश्चात् निर्विलय के दौरान विलय करने वाली फर्म द्वारा पुन: प्राप्त किया जा सकता है, जिससे इसे विलय से पूर्व उसी नाम से कार्य को जारी रखने की अनुमति प्राप्त होगी, ताकि वह अपनी वरिष्ठता के साथ फर्म के नाम को सुरक्षित रख सके ।

फर्म के नाम को पुन: प्राप्त करने के लिए, आईसीएआई द्वारा विहित प्रारूप में 75% जीवित भागीदारों की सहमति आवश्यक है, जिन्होंने मूल रूप से/डिजिटल रूप से फर्म के नाम को संरक्षित रखने के लिए आवेदन किया था । यदि भागीदार समयावधि में सेवानिवृत्त हो जाते हैं या त्यागपत्र दे देते हैं, तो उन्हें भागीदारों में परिवर्तन के लिए आईसीएआई को संसूचित करना अपेक्षित है और भविष्य में फर्म के नाम को पुन: प्राप्त करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के माध्यम से शेष भागीदारों को भी प्राधिकृत किया जाएगा ।

## 2. पंजीकृत कार्यालय

विलय हुई फर्म, ..... का पंजीकृत कार्यालय ..... पर अवस्थित होगा, जैसा कि पंजीकरण को शासित करने वाली लागू विधियों और विनियमों के अनुसार अवधारित और पंजीकृत किया गया है ।

विलय प्रक्रिया के पूरा होने पर, विलय करने वाली फर्मों द्वारा पूर्व में संचालित सभी शाखाओं, कार्यालयों या व्यवसाय के अवस्थानों को विलय हुई फर्म के प्रचालन में विलयित कर दिया जाएगा । विलय इकाई एक या अधिक अवस्थानों को अपने व्यवसाय के प्रमुख स्थान के रूप में अभिहित कर सकेगी, जहां फर्म के प्रचालन को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए आवश्यक प्रसुविधाएं और आधारभूत ढांचा स्थापित किया जाएगा ।

चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अधिनियम, 1949 की धारा 27 का अनुपालन अनिवार्य है । तदनुसार, विलय हुई फर्म यह सुनिश्चित करेगी कि पंजीकृत कार्यालय और किसी भी शाखा कार्यालय (कार्यालयों) के पतो में सभी परिवर्तनों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की परिषद को सम्यक् रूप से संसूचित किया जाए।

## 3. विलय के निबंधन

पक्षकार एततद्वारा इस विलेख में अधिकथित निबंधनों और शर्तों के अधीन अपनी-अपनी फर्मों का विलय करने का करार करते हैं ।

## 4, आस्तियों और दायित्वों का अंतरण

विलय की प्रभावी तारीख पर, ..... के सभी क्रियाकलाप, प्रचालन, आस्तियां, दायित्व और बाध्यताएं, जहां तक वे विद्यमान हैं या अभी समाप्त नहीं हुए हैं, विलय के परिणामस्वरूप, संबंधी ग्राहकों की अभिव्यक्त सहमति के अधीन रहते हुए विधि द्वारा ..... को समनुदेशित किए जाएंगे, जो उनका प्रचालन/निष्पादन करेगा ।

## 5. प्रबंध संरचना

प्राधिकृत प्रबंध भागीदार/(रों) या सह-प्राधिकृत भागीदार/विधिक उत्तराधिकारी (क्रमशः, प्रबंध भागीदार/(रों) की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की दशा में) के पास हर समय फर्म/(मों) के व्यवसाय से संबंधित सभी दस्तावेज होने चाहिए जैसे भागीदारी विलेख, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति या नए भागीदारों के सम्मिलित होने से संबंधित दस्तावेज, नियोजन और योग्य सहायकों की सेवामुक्ति फर्म/एलएलपी के गठन या पुनर्गठन के लिए प्राप्त किए गए आवेदनों से संबंधित ब्यौरे और दस्तावेज, फर्म/एलएलपी की संपत्ति के दस्तावेज, कर विवरणियां, बैंक हस्ताक्षरकर्ता के ब्यौरे, आदि जिन्हें समय-समय पर आईसीएआई द्वारा किसी भी विवाद या किसी जांच या पुष्टि के लिए अपेक्षित होने की दशा में मांगा जा सकेगा।

प्राधिकृत प्रबंध भागीदार/(रों) या सह-प्राधिकृत भागीदार (प्रबंध भागीदार/(भागीदारों) की सेवानिवृत्ति/मृत्यु की दशा में), फर्म अधिनियम, 2013 की धारा 144 के मद्दे उद्भूत होने वाले लेखा परीक्षा या गैर-लेखा परीक्षा संकर्मों के निर्बधनों के संबंध में विलय करने वाली फर्मों को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए और साथ ही विलय करने वाली फर्मों के बीच लेखा परीक्षा के चक्रानुक्रम की अनुमति न होने या आचार संहिता अथवा नैतिक संहिता या विलय के समय फर्मों को लागू होने वाली किसी शासी विधि में किसी विवाद्यक के संबंध में भी स्पष्ट रूप से बताना चाहिए ।

विलय का आशय रखने वाली प्रत्येक फर्म से यह अपेक्षित होगा कि ऑनलाइन पद्धति के माध्यम से स्वयं-सेवा पोर्टल (एसएसपी) पर विलय की संपूर्ण प्रक्रिया को अधिप्रमाणित करने के लिए वह एक प्रबंध भागीदार को और साथ ही एक वचनबंध के माध्यम से एक भागीदार को सह-प्राधिकृत करे ।

निर्विलय की दशा में, प्राधिकृत प्रबंध भागीदार/(रों) या सह-प्राधिकृत भागीदार/विधिक उत्तराधिकारी संविदात्मक बाध्यताओं और वृत्तिक मानकों

के अनुसार चालू समनुदेशनों के निर्बाध समापन को सुनिश्चित करेगा । निर्विलियत फर्म ततपरतापूर्वक और सक्षम रूप से सभी चालू समनुदेशनों के साथ सहबद्ध सभी बाध्यताओं को पूरा करेगी और साथ ही सेवा की निरंतरता को सुनिश्चित करते हुए संबंधित ग्राहकों की संतुष्टि को अक्षुण्ण रखेगी ।

उत्तरजीवी फर्म/विलय हुई फर्म का प्रत्येक बाहर जाने वाले सदस्य, जो फर्म से पृथक् हो रहा है, से यह अपेक्षित होगा कि वह भविष्य में फर्म के नाम को पुन: प्राप्त करने के लिए या फर्म से सहबद्ध किसी अन्य विषय के बारे में कार्यवाही करने के लिए शेष भागीदार(रों) को सह-प्राधिकृत करे और एक अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) भी उपलब्ध कराएं ।

बाहर जाने वाले भागीदार द्वारा उपलब्ध कराया गया सह-प्राधिकार तथा अनापत्ति प्रमाणपत्र, फर्म के शेष भागीदार (भागीदारों) को फर्म से संबंधित अधिकारों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों को अंतरित करने के लिए उनकी सहमति और अनुमोदन को दर्शित करेगा । बाहर जाने वाले भागीदार द्वारा उपलब्ध कराया गया सह-प्राधिकार तथा अनापत्ति प्रमाणपत्र अप्रतिसंहरणीय होगा और निष्पादन किए जाने पर आबद्धकर होगा । एक बार उन्हें उपलब्ध करा देने के पश्चात् बाहर जाने वाला भागीदार फर्म से संबंधित सभी दावों और अधिकारों को परित्यक्त कर देगा ।

विलय के संबंध में उपगत प्रशासनिक लागत, जिसमें ऐसे वृत्तिकों, जिन्होंने विलय के संबंध में अपनी सेवाएं उपलब्ध कराई थी, की लागत और फीस सम्मिलित होगी किंतु वह उस तक ही सीमित नहीं होगी और साथ ही विधिक काउंसिल की फीस, सलाहकारी फीस, पंजीकरण फीस और कोई अन्य संबंधित व्ययों का विलय करने वाली फर्म (फर्मों) /फर्म पंजीकरण संख्यांक वाले एकल व्यवसायियों द्वारा संयुक्त और समान रूप से निर्वहन किया जाएगा जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो । इसी प्रकार, किसी पश्चातवर्ती निर्विलय के संबंध में उपगत प्रशासनिक लागत, जिसमें विधिक फीस, सलाहकारी फीस, पंजीकरण फीस

और कोई अन्य संबंधित व्यय सम्मिलित हैं, जिनका विलय करने वाली फर्म (फर्मों) /फर्म पंजीकरण संख्यांक वाले एकल व्यवसायियों द्वारा संयुक्त और समान रूप से निर्वहन किया जाएगा जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा करार न किया गया हो ।

विलय हुई फर्म के सभी भागीदार, फर्म के दैनिक प्रचालनों के दैनिक प्रचालनों का पर्यावलोकन करने और नीतिगत निदेश देने के लिए एक या अधिक प्रबंध भागीदारों को अभिहित या प्राधिकृत कर सकेंगे । प्रबंध भागीदारों के पास विलय हुई फर्मों के भागीदारों की सहमति या प्राधिकार के अधीन रहते हुए फर्म की ओर से सभी निर्णय लेने का प्राधिकार होगा ।

प्रबंध भागीदारों के पास विलय हुई फर्म में सम्मिलित वरिष्ठ भागीदारों के पारिश्रमिक तय करने का प्राधिकार होगा । इस पारिश्रमिक को वरिष्ठ भागीदारों की अपनी-अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के आधार पर अवधारित किया जाएगा । प्रबंध भागीदार प्रचलित बाजार मानकों और विलय हुई फर्मों की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए एक निष्पक्ष और युक्तियुक्त पारिश्रमिक संरचना को सुनिश्चित करेंगे । प्रबंध भागीदारों की परस्पर समझ के अधीन रहते हुए विलय हुई फर्म के कार्य को आबंटन करने तथा उसके समय-सूची को अवधारित करने का विवेकाधिकार होगा । प्रबंध भागीदार यह सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त प्रयास करेंगे कि कार्य के आबंटन को भागीदार की विशेषज्ञता, कौशल के क्षेत्र और वृत्तिक हितों के अनुसार निर्धारित किया जाए । इस संबंध में लिए जाने वाले निर्णयों का उद्देश्य अनुकूलतम संसाधनों के उपयोग को सुनिश्चित करना और ग्राहकों को उच्च गुणवत्ता वाली सेवा प्रदान करना तथा सहयोगात्मक कार्य परिस्थितियों का संवर्धन करना होगा ।

विलय हुई फर्मों के शुद्ध लाभ को विलय करने वाली फर्म(फर्मों)/फर्म पंजीकरण संख्यांक रखने वाले एकल व्यवसायियों के बीच उनके अपने-अपने सहयोग के आधार पर आंबटन किया जाएगा तथा लाभ को साझा करने के अनुपात को परस्पर रूप से किए गए विनिश्चय के अनुसार वार्षिक

रूप से समायोजित किया जाएगा, जब कि उसका वितरण त्रैमासिक रूप से किया जाएगा और किसी अवितरित लाभ को विलय हुई फर्म की कार्यकारी पूंजी के रूप में प्रतिधारित किया जाएगा । काराधान आरक्षितियों और अभिलेखों को बनाए रखे जाने का प्रबंध उस प्रकार किया जाएगा, जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित हो या फर्म के स्थायित्व और विकास के लिए विलय करने वाली फर्म (फर्मों) / पंजीकरण संख्यांक रखने वाले एकल व्यवसायियों द्वारा आवश्यक समझा जाए ।

विलय हुई फर्म में सम्मिलित होने वाली प्रत्येक नई फर्म और विलय हुई फर्म को छोड़ने वाली प्रत्येक फर्म लागू उपबंधों के अनुसार सम्यक् प्रक्रिया का अनुपालन करेगी । तथापि, किसी भागीदार की मृत्यु या सेवानिवृत्ति को निर्विलय नहीं माना जाएगा । घटक फर्मों के प्राधिकृत प्रबंध भागीदार यह सुनिश्चित करेंगे कि नई फर्म विलय और निर्विलय के मूल निबंधनों और शर्तों से भंलीभांति परिचित हैं और नई उक्त फर्म से विलियन के दौरान प्रारूप 'एमडीजी 1' को प्रस्तुत किए जाने के साथ मूल/डिजिटल रूप से हस्ताक्षर भी कराएं जाएंगे ।

## 6. दायित्व

विलय हुई फर्म के प्रत्येक भागीदार, चाहे वह प्रबंध भागीदार हो या अन्यथा, का दायित्व विधि द्वारा अनुमत सीमा तक सीमित होगी और जैसा कि विलय हुई फर्म को शासित करने वाले विलेख/करार में अधिकथित किया गया हो ।

विलय हुई फर्म अपने भागीदारों और कर्मचारियों को, विलय हुई फर्म के प्रचालन से उद्भूत होने वाले या उससे संबंधित सभी दावों, दायित्वों, हानियों, क्षतियों, लागतों और व्ययों के लिए तथा उनके प्रति क्षतिपूर्ति करेगी तथा उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचने देगी सिवाय उस सीमा तक, जो ऐसे व्यष्टियों के स्वैच्छिक कदाचार या घोर लापरवाही के कारण उत्पन्न हो ।